संख्या-63/2015/वे0आ0-2-960(ए)/दस-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
महिला कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 07 दिसम्बर, 2015**

विषय- महिला कल्याण विभाग के व्यायाम प्रशिक्षकों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला कल्याण विभाग के व्यायाम प्रशिक्षकों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर यह निर्णय लिया गया है कि महिला कल्याण विभाग के व्यायाम प्रशिक्षक के पदों पर निर्धारित अर्हता तथा कार्यक्षेत्र एवं कार्य के स्तर को दृष्टिगत रखते हुए इन पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/- को उच्चीकृत करते हुए विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/- अनुमन्य कराया जाय।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-63/2015/वे0आ0-2-960(ए)(1)/दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in